

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

प्रश्न सं. [क. 2437]

परिशिष्ट [14/3/2018] ५

1

(The High Court of Madhya Pradesh)

W.P. No. 2796/2018

(Kanhayalal Sahu Vs. State of M.P. and ors.)

Gwallor Dated 05/02/2018

Shri D.P. Singh, learned counsel for petitioner.

Shri Abhishek Mishra, learned Government Advocate for respondents No. 1 and 2/State.

Shri K.K. Shrivastava, learned counsel for respondent No.3.

At the very outset, learned counsel for the respondent No.3/caveator raised the objections regarding submissions made by the petitioner regarding respondent No. 3.

Learned counsel for the petitioner fairly withdraws the submissions levelled against the respondent No. 3 and he confines his argument to the extent that a direction may be issued for consideration of his representation which is duly recommended by the Collector, District Datta.

Learned counsel for the respondents/State as well as respondent No. 3 fairly submit that petitioner has put in 8 years of service at the same place, therefore, he has rightly been transferred to district Sheopur on the complaint of Employee's Union he has been transferred.

Considering the submission and looking to the innocuous prayer made by the petitioner for consideration of the D.O. letters dated 30.08.2017 and 2.11.2017 collectively, the petition is disposed of with a direction to respondents/authority to consider the case in hand. Necessary exercise be completed as expeditiously as possible preferably within three months from the date of receipt of this order. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case.

Petition stands disposed of.

(Anand Pathak)
Judge

LJ/-

परिशिष्ट-ब' 6

52

7

म पिरोनिया
विधायक
सभा क्षेत्र - 21 भाण्डेर
अनु.जा. आयोग, भोपाल



भोपाल-एल.एल.ए. रेस्ट हाउस खण्ड क्र 1
कक्षा क्रमांक 29, 30, 31
खालियर-दुर्गा कॉलोनी, हेमसिंह की परेड
भाण्डेर-R-68 जनपद पंचायत कैम्पस
मोबा. : 9827351080, 9827819379

दिनांक 28-10-2017

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग, म.प्र. शासन,
भोपाल (म.प्र.)

व्य :- श्री कन्हैयालाल साहू, सहायक वर्ग-3 कार्यालय कलेक्ट्रेट दतिया को शासन स्तर से कार्यमुक्त कराने बाबत।
संदर्भ:- आपके कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 2-6/2017/सात 4A भोपाल दिनांक 10.07.17 एवं क्रमांक एफ 2-6/2017/सात 4A भोपाल दिनांक 16.10.17 के संबंध में।

--000--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अनुरोध है कि आपके उपरोक्त कार्यालयीन आदेशों के द्वारा कार्यालय कलेक्ट्रेट दतिया में पदस्थ सहायक वर्ग-3 श्री कन्हैयालाल साहू का थानांतरण प्रशासनिक आधार पर दतिया से जिला श्योपुर म.प्र. किया गया है, परंतु जलेक्टर जिला दतिया द्वारा आज दिनांक तक श्री साहू को कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जलेक्टर दतिया श्री साहू को जानबूझकर दतिया में ही रोके रखे हैं, वह कार्यमुक्त नहीं कर रहे हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री साहू को राज्य शासन से एक-तरफा जिला श्योपुर हेतु कार्यमुक्त कराने का कष्ट करें।

भवदीय

घनश्याम पिरोनिया
(विधायक भाण्डेर)

7

42

7

धनश्याम पिरौनिया

विधायक

जनसभा क्षेत्र - 21 भाण्डेर

अनु.जा. आयोग, भोपाल



भोपाल-एल.एल.ए. रेस्ट हाउस खण्ड क्र 1
कक्ष क्रमांक 29, 30, 31
श्यालियर-दुर्गा कॉलोनी, हेमसिंह की परेड
भाण्डेर-R-68 जनपद पंचायत कैम्पस
मोबा. : 9827351080, 9827819379

दिनांक 28-10-2017

से,

प्रमुख सचिव,

राजस्व विभाग, म.प्र. शासन,

भोपाल (म.प्र.)

य :- श्री कन्हैयालाल साहू, सहायक वर्ग-3 कार्यालय कलेक्ट्रेट दतिया को शासन स्तर से कार्यमुक्त कराने बावत।

ई:- आपके कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 2-6/2017/सात 4A भोपाल दिनांक 10.07.17 एवं क्रमांक एफ 2-6/2017/सात 4A भोपाल दिनांक 16.10.17 के संबंध में।

--000--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अनुरोध है कि आपके उपरोक्त कार्यालयीन आदेशों के कार्यालय कलेक्ट्रेट दतिया में पदस्थ सहायक वर्ग-3 श्री कन्हैयालाल साहू का अंतरण प्रशासनिक आधार पर दतिया से जिला श्योपुर म.प्र. किया गया है, परंतु उक्त जिला दतिया द्वारा आज दिनांक तक श्री साहू को कार्यमुक्त नहीं किया गया है, इस दतिया श्री साहू को जानबूझकर दतिया में ही रोके रखे हैं, वह कार्यमुक्त नहीं कर

अतः आपसे अनुरोध है कि श्री साहू को राज्य शासन से एक-तरफा जिला श्योपुर कार्यमुक्त कराने का कष्ट करें।

भवदीय

धनश्याम पिरौनिया

(विधायक भाण्डेर)